

मत्स्य निदेशालय

झारखण्ड, राँची

सं0सं0-म0नि0-11-उ0यो0-90/2021-22/ 09 (अप) / मत्स्य/राँची/दिनांक 01.01.2025

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य के सचिव,
सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में मॉग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40) अंतर्गत मो0 160.64 लाख (एक करोड़ साठ लाख चौसठ हजार) रु0 मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग- सामान्य स्वीकृतादेश सं0 39 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.2024, ऑनलाईन स्वीकृतादेश सं0 1712 एवं 1713 तथा आवंटन सं0 67 आ0 (वि0) दिनांक 01.01.2025 ऑन-लाईन आवंटन सं0-3120, 3121, 3122, 3123, 3124 तथा 3125।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक सामान्य स्वीकृतादेश सं0 39 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.2024, ऑनलाईन स्वीकृतादेश सं0 1712 एवं 1713 तथा आवंटन सं0 67 आ0 (वि0) दिनांक 01.01.2025 ऑन-लाईन आवंटन सं0-3120, 3121, 3122, 3123, 3124 तथा 3125 के आलोक में मॉग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना) (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40) अंतर्गत मो0 160.64 लाख (एक करोड़ साठ लाख चौसठ हजार) रु0 मात्र आवंटित किया जाता है।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 में मॉग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना अन्तर्गत आवंटन :

स्थापना का नाम	क्रम0	विस्तृत शीर्ष	आवंटित राशि
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन		
	1	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	4527600
	2	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	3018400
	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना		
	3	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	1827000
	4	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	1218000
	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना		
	5	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	3283800
	6	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	2189200
	कुल आवंटन		

कुल आवंटन मो0 एक करोड़ साठ लाख चौसठ हजार रु0 मात्र।

3. इस आवंटन के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य के सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे जो राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से करते हुए State Link Scheme से संबंधित DDO को राशि का Limit जारी करेंगे। Limit के आधार पर संबंधित DDO द्वारा राशि का व्यय SNA SPARSH Module के तहत सभी नियमों को अनुपालन करते हुए किया जाएगा।
4. विगत वर्षों में भारत सरकार से राशि विमुक्ति के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह आवंटन स्वीकृत्यादेश द्वारा स्वीकृत मो0 6.4256 करोड़ (छः करोड़ बयालीस लाख छप्पन हजार) रु0 मात्र के विरुद्ध एक चौथाई है।
6. भारत सरकार, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्य पालन विभाग के पत्र सं0 F.No. J-01011/1/2020-Fy-(E17706) दि0 6th August 2024 से स्वीकृति प्राप्त है, एवं F.No. J-01011/1/2020-Fy-(E17706) दि0 22nd October 2024 द्वारा Mother Sanction केन्द्रांश के रूप में विमुक्ति आदेश प्राप्त है। स्वीकृत्यादेश सं0 39 रा0 (वि0) दिनांक 14.10.2024 के कंडिकाओं का अक्षरशः पालन किया जाए।
7. (क) वित्त विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-23/बी०टी०ई०-11/2023-24/257/बजट दिनांक-21.03.2024 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय की अनुमति प्राप्त है।
(ख) आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि० (2) दिनांक-17.04.1998 वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि०, दिनांक-15.07.2003 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में राशि की निकासी की जाय।
8. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर विपत्र कोड एवं मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके एवं मिलान करने में दिक्कत न हो। वर्ष के प्रत्येक तिमाही का नियमित लेखा मिलान कर त्रुटि निराकरण करना संबंधित DDO का दायित्व होगा।
9. आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 के आलोक में किया जाये। साथ ही कोषागार संहिता/वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये।
10. स्वीकृत राशि का दुर्विनियोग, विचलन तथा अनियमित निकासी व व्यय के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
11. योजना में बिना पूर्वानुमति के प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक का व्यय न हो, इसका दृढ़ता से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
12. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि इस प्रयोजनार्थ अन्य स्रोत (जिला/अन्य विभाग/योजना) से राशि प्राप्त नहीं हो रही है।
13. कार्यों का भौतिक/वित्तीय उपलब्धि झारखण्ड सरकार की Website पर Post किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0-ऑनलाईन आवंटन

09 (8700)
01/01/2025

विश्वासभाजन

(एच0 एन0 द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची.

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०-90/2021-22/ 09(अ०) /मत्स्य/रॉची/दिनांक 01.01.2025
प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/योजना एवं
बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश सह
SNA, PMMSY झारखण्ड, रॉची/उप मत्स्य निदेशक (यो०) सह Nodel Officer,
PMMSY को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


01/01/25

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची.

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०-90/2021-22/ 09(अ०) /मत्स्य/रॉची/दिनांक 01.01.2025
प्रतिलिपि :- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड,
रॉची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रॉची
को सूचनार्थ प्रेषित।

01/01/25

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची.



आवंटन आदेश

आरखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Divisio

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - II/90/24-25/1st/09

दिनांक - 01-Jan-2025

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 53 24050010177010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 101 - अन्तर्देशीय मछली-पालन 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अनुदान Central Scheme State Scheme : Central Scheme :	78909	DRNFSH007 SEEMA KUMARI KUJUR SECTT TO DIR FISHERIES 49 - आर्थिक सहायता	4,527,600.00 रुपये पैतालीस लाख सत्ताइस हजार छः सौ
2	S 53 24050010177010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 101 - अन्तर्देशीय मछली-पालन 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अनुदान Central Scheme (State Share) State Scheme : Central Scheme :	78912	DRNFSH007 SEEMA KUMARI KUJUR SECTT TO DIR FISHERIES 49 - आर्थिक सहायता	3,018,400.00 रुपये तीस लाख अठारह हजार चार सौ
3	C 53 24050078977010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अनुदान Central Scheme State Scheme : Central Scheme :	78910	DRNFSH007 SEEMA KUMARI KUJUR SECTT TO DIR FISHERIES 49 - आर्थिक सहायता	1,827,000.00 रुपये अठारह लाख सत्ताइस हजार

योग:

क्रमिक योग:

रुपये तिरनावे लाख तीहत्तर हजार

9,373,000.00

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR, FISHERIES

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 53 24050078977010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अन्दान Central Scheme (State Share) State Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA(1848) Central Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY)(3890)	78913	DRNFSH007 SEEMA KUMARI KUJUR SECTT TO DIR FISHERIES 49 - आर्थिक सहायता	1,218,000.00 रुपये बारह लाख अठारह हजार
5	C 53 24050079677010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अन्दान Central Scheme State Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA(1848) Central Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY)(3890)	78911	DRNFSH007 SEEMA KUMARI KUJUR SECTT TO DIR FISHERIES 49 - आर्थिक सहायता	3,283,800.00 रुपये बत्तीस लाख तिरयासी हजार आठ सौ
6	S 53 24050079677010649 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 01-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना 06 - अन्दान Central Scheme (State Share) State Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA(1848) Central Scheme : PRADHAN MANTRI MATSYA SAMPADA YOJANA (PMMSY)(3890)	78914	DRNFSH007 SEEMA KUMARI KUJUR SECTT TO DIR FISHERIES 49 - आर्थिक सहायता	2,189,200.00 रुपये इक्कीस लाख नवासी हजार दो सौ
योग:				6,691,000.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड साठ लाख चौसठ हजार			16,064,000.00
			(H. N. DWIVEDI) DIRECTOR FISHERIES	

वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटित राशि की विवरणी :-

मॉग सं० - 53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 101 - अन्तर्देशीय मछली-पालन & 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना & 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना
मुख्य शीर्ष-2405 - मछली-पालन & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना & 77 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	53C24050010177010649	53C24050078977010649	53C24050079677010649	53S24050010177010649	53S24050078977010649	53S24050079677010649	Total
1	2	3	4	5	आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता	12
					6	7	8	9	10	11	
1	Doranda	DRNFSH007	Seema Kumari Kujur	Sectt To Dir Fisheries	₹45,27,600.00 (78909)	₹18,27,000.00 (78910)	₹32,83,800.00 (78911)	₹30,18,400.00 (78912)	₹12,18,000.00 (78913)	₹21,89,200.00 (78914)	₹1,60,64,000.00

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

कुल आवंटित राशि :- ₹1,60,64,000.00 (,d djksM lkgB yk[k pkSIB gtkj) रूपये मात्र |

09 (3170)
01/01/2025

AD
01/01/25
(H. N. DWIVEDI)
DIRECTOR FISHERIES